न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या – 367/2018

आरसीएमएस नं. 2018/00484

बनवारीलाल पुत्र स्व.श्री चेतन पुत्र स्व. श्री गोविन्द आयु 77 वर्ष जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. लालचंद
2. सीताराम
3. सोहनलाल
4. मोहनलाल
5. मनीराम

पुत्रगण स्व.श्री किशोरीलाल पुत्र स्व.श्री नानक पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासीगण गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. चानणमल पुत्र स्व.श्री चेतन पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. रणजीत
8. साहबराम
9. सुरेन्द्रपाल

पुत्रगण स्व.श्री हनुमान प्रसाद पुत्र स्व.श्री नानक पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासीगण गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

10. श्रीमति भूरादेवी धर्मपत्नि स्व.श्री कालूराम पुत्र स्व.श्री उमा पुत्र स्व.गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. विजय
12. प्रभुराम

पुत्रगण कालूराम पुत्र स्व.श्री उमा पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

13. श्रीमति कमला (पुत्री स्व.श्री कालूराम पुत्र स्व.श्री उमा) धर्मपत्नि श्री औमप्रकाश पुत्र श्री हरचंद जाति कुम्हार निवासी चक 2 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
14. श्रीमति परमेश्वरी (पुत्री स्व.श्री कालूराम पुत्र स्व.श्री उमा) धर्मपत्नि श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री कानाराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
15. लालचन्द
16. शंकरलाल

पुत्रगण स्व.श्री उमा पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

17. कृष्णलाल पुत्र स्व.श्री चेतन पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
18. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
19. यूको बैंक हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबंधक तहसील व जिला हनुमानगढ़।
20. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक) कृषि विकास शाखा हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

21. पंजाब नेशनल बैंक हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबंधक तहसील व जिला हनुमानगढ़।

22. भगत सिंह
23. प्रताप सिंह
24. शिशपाल सिंह

पुत्रगण श्री चानणमल पुत्र स्व.श्री नानक पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासीगण गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

25. बनवारीलाल पुत्र स्व.चेतन पुत्र श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगाणी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांक 05.11.2018
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व, हनुमानगढ़
अनवान ''बनवारीलाल बनाम लालचंद आदि प्र. सं. 56/2011
उपस्थितिः—

श्री लालचन्द वर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशप्रीत सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या—4

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या—17

श्री रामकुमार बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 21

(2) अपील संख्या — 14/2019

आरसीएमएस नं. 2019/00014

लालचंद पुत्र श्री उमा जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1. लालचंद
2. सीताराम
3. सोहनलाल
4. मोहनलाल
5. मनीराम

पुत्रगण स्व.श्री किशोरीलाल पुत्र स्व.श्री नानक पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासीगण गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. चानणमल पुत्र स्व.श्री चेतन पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

7. रणजीत
8. साहबराम
9. सुरेन्द्रपाल

पुत्रगण स्व.श्री हनुमान प्रसाद पुत्र स्व.श्री नानक पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासीगण गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

10. श्रीमति भूरादेवी धर्मपत्नि स्व.श्री कालूराम पुत्र स्व.श्री उमा पुत्र स्व.गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. विजय
12. प्रभुराम

पुत्रगण कालूराम पुत्र स्व.श्री उमा पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

13. श्रीमति कमला (पुत्री स्व.श्री कालूराम पुत्र स्व.श्री उमा) धर्मपत्नि श्री औमप्रकाश पुत्र श्री हरचंद जाति कुम्हार निवासी चक 2 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
14. श्रीमति परमेश्वरी (पुत्री स्व.श्री कालूराम पुत्र स्व.श्री उमा) धर्मपत्नि श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री कानाराम जाति कुम्हार निवासी चक 2 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
15. लालचन्द
16. शंकरलाल

पुत्रगण स्व.श्री उमा पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

17. कृष्णलाल पुत्र स्व.श्री चेतन पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
18. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
19. यूको बैंक हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबंधक तहसील व जिला हनुमानगढ़।
20. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक) कृषि विकास शाखा हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
21. पंजाब नेशनल बैंक हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबंधक तहसील व जिला हनुमानगढ़।
22. भगत सिंह
23. प्रताप सिंह
24. शिशपाल सिंह

पुत्रगण श्री चानणमल पुत्र स्व.श्री नानक पुत्र स्व.श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासीगण गंगानी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

25. बनवारीलाल पुत्र स्व.चेतन पुत्र श्री गोविन्द जाति कुम्हार निवासी गंगाणी थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांक 05.11.2018

पारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व, हनुमानगढ़
अनवान "बनवारीलाल बनाम लालचंद आदि प्र. सं. 56/2011
उपस्थितिः—

श्री, बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांट

निर्णय

दिनांक 02.02.2023

1. अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 56/2011 शीर्षक "बनवारीलाल बनाम लालचंद" में पारित आदेश दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

05.11.2018 के विरूद्व इस न्यायालय में दो पृथक पृथक अपील प्रस्तुत हुई है। उक्त दोनों अपीलों को एकसाथ समेकित कर अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट बनवारीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि नानक, चेतन व उमा पिसरान गोविन्द को चक 20 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ में 52 बीघा 7 बिस्वा भूमि बहिस्सा बराबर आंवटित हुई थी। इस संयुक्त खाता की भूमि में से हनुमानगढ़ टाउन से बड़ोपल के लिये सड़क निर्माण हेतु 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि अवाप्त हुई व शेष 48 बीघा 4 बिस्वा तीनों भाईयों की बहिस्सा बराबर रही। उक्त भूमि के अलावा इसी चक 20 एचएमएच में श्री नानक पुत्र स्व.श्री गोविन्द को पृथक से 10 बीघा भूमि तबादला में आवंटित हुई थी लेकिन राजस्व विभाग ने उक्त दोनों खातों की भूमि का एक ही खाता कायम कर दिया व तीनों भाईयों का कुल भूमि में 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया। इस गलत प्रविष्टि को दुरूस्त करने हेतु स्व.श्री नानक के वारिसान किशोरीलाल आदि ने न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष घोषणा व खाता विभाजन का वाद पत्र राजस्व वाद संख्या 138/91 शीर्षक ''किशोरीलाल आदि बनाम स्टेट व अन्य'' प्रस्तुत किया। इस वाद पत्र में अपीलांट व उसकी बहिन चावली ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए उक्त वर्णित 10 बीघा भूमि सांझा खाता में गलत रूप से दर्ज होना व यह 10 बीघा भूमि अकेले नानकराम की होना स्वीकार किया तथा 52 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि सड़क में अवाप्त होने से शेष बची भूमि 48 बीघा 4 बिस्वा में 1/3 हिस्सा अर्थात 16 बीघा 1–1/3 बिस्वा स्व.श्री चेतन के वारिसान का होने से 16 बीघा 1–1/3 बिस्वा भूमि के सम्बंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व खाता विभाजन की इस्तदुआ की। इस वाद पत्र में दिनांक 26.09.2000 को विवाधक विरचित हुए तथा साक्ष्य वादी के प्रक्रम पर इस वाद पत्र के वादीगण किशोरीलाल आदि ने अपीलांट के काउण्टर क्लेम को व्यग्र करने के आशय से इस वाद पत्र को प्रत्याहृत करना चाहा। न्यायालय ने दिनांक 24.09.2008 को श्री किशोरीलाल आदि द्वारा प्रस्तजुत यह वाद पत्र इस शर्त के साथ वापिस लेने की अनुमति दी कि अपीलांट अपने काउण्टर क्लेम के सम्बंध में नया वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। स्व.श्री किशोरीलाल के वारिसान ने उक्त वाद पत्र प्रत्याहृत करने के बाद अपीलांट एवं उसके भाई कृष्णलाल प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या–17 को पीठ पीछे उक्त वर्णित भूमि के राजस्व अभियान के दौरान अलग अलग खाते कायम करवा लिये व अपीलांट का अलग खाता उसके वैध हिस्सा से कम दर्ज करवाते हुए 1.468 व रेस्पोडेंट संख्या–17 कृष्णलाल का अलग खाता उसके वैध हिस्सा से कम दर्ज करते हुए 1.555 हैक्टेयर कायम करवा दिया। इस प्रकार स्व.श्री चेतन के वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेंट का उनके वैध हिस्सा 16 बीघा 1–1/3 बिस्वा अर्थात 4.065 हैक्टेयर की बजाय 1.468 + 1.555 हैक्टेयर = 3.023 हैक्टेयर दर्ज करवाया व उनकी 1.042 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज कर दी। इस पर वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त गलत प्रविष्टियों को चुनौती देते हुए दिनांक 16.03.2011 को वाद पत्र प्रस्तुत किया तथा इस आशय की घोषणा चाही कि वाद पत्र की चरण संख्या–3 में वर्णित 52 बीघा 7 बिस्वा भूमि में सड़क के लिये भूमि अवाप्ति पश्चात राजस्व अभिलेख में दर्ज 48 बीघा 4 बिस्वा भूमि में वादी/अपीलांट व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 17 का 1/3 हिस्सा अर्थात 16 बीघा 1–1/3 बिस्वा यानि 4.065 हैक्टेयर में अपीलांट का निस्फ हिस्सा 2.033 हैक्टेयर खातेदार घोषित किया जावे व रेस्पोडेंट के खातों में से भूमि कम की जाकर अपीलांट की खातेदारी घोषित 2.033 हैक्टेयर का अच्छी मन्दी के लिहाज से खाता विभाजन कर विभाजित भूमि का दखल दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा याचित की कि वे चक 20 एचएमएच के खाता संख्या 59/57, 170/49, 186/175 में वर्णित भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्व रहे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण ने वादी के वाद पत्र का कोई जवाबदावा प्रस्तुत न कर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 7 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर यह कथन किया कि वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी द्वारा राजस्व अभियान के अन्तर्गत प्रश्गनत भूमि के खाता विभाजन कायम करवाने के कथन किये हैं अतः वादी को ऐसे खाता विभाजन के आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर खाता विभाजन के आदेश को निरस्त करवाना चाहिए तथा इस आदेश के होते हुए यह वाद पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है तथा एक अन्य आपत्ति इस आधार पर की कि वादी ने खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है तथा प्रस्तुत जमाबंदी में दर्ज सह खातेदार भगत सिंह, प्रताप सिंह व शिशपाल पिसरान चानणमल को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि धारा 53 आरटीए के वाद पत्र में समस्त सह खातेदार आवश्यक पक्षकार होते हैं व इस कारण यह वाद पत्र आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से ग्रसित होने से खारिज होने योग्य है। वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब पेश कर कथन किया कि वादी का वाद पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु है तथा रेस्पोडेंट ने पूर्ववर्ती वाद पत्र राजस्व वाद संख्या 138/91 को प्रत्याहृत करने के बाद छिपे तौर पर एवं उनकी पीठ पीछे मुश्तर्का खाता की भूमि के खाते अलग कायम कर अपीलांट के वैध हिस्सा से कम भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित करवाई है तथा राजस्व अभिलेख में हुई उक्त गलत प्रविष्टियों को चुनौती देते हुए घेषणात्मक आज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत यही वाद पत्र पोषणीय है। घोषणात्मक आज्ञप्ति के वाद पत्र में न्यायालय किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित किसी पूर्ववर्ती डिक्री अथवा आदेश की वैधता के प्रश्न को भी तय करने में सक्षम है तथा वादी के वाद पत्र के अभिवचन एवं सार अनुसार यह वाद पत्र अनन्य रूप से राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा विधितः वर्जित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 7 द्वारा इस प्रार्थना पत्र में उठाई गई आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन की आपत्ति के सम्बंध में वादी ने उसी समय पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर भगत सिंह, प्रताप सिंह व शिशपाल सिंह पुत्रगण श्री चानणमल को पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया व यह विधिक स्थिति प्रकट की कि आदेश नियम 9 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार कोई वाद पत्र पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर तब तक खारिज नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्हें पक्षकार न बनाया गया हो। वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के विरोध में लिखित बहस भी प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.11.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादी बनवारीलाल का वाद पत्र

Leave

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया जिसके विरूद्व अपीलांट बनवारीलाल व लालचंद ने इस न्यायालय में अपीलें प्रस्तुत की।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलांट ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र के अभिवचनों अनुसार अपीलांट का वाद पत्र खातेदारी घोषणा का था तथा अपीलांट के अधिकारों को तय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अभिलेख में हुई गलत प्रविष्टियों की वैधता के प्रश्न को तय करने में सक्षम था। अपीलांट का यह स्पष्ट अभिवचन था कि विभाजन छिपे तौर पर अपीलांट के वैध हिस्सा की भूमि को कपटपूर्ण ढंग से कम करने के आशय से छिपे तौर पर खाता विभाजन करवाया गया है। रेस्पोडेंट ने ऐसे विभाजन से सम्बंधित आदेश की प्रतिलिपी भी प्रस्तुत नहीं की। अपीलांट के अभिवचन से किसी प्रकार से वाद पत्र विधितः वर्जित नहीं था तथा रेस्पोडेंट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र. में उठाये गये बिन्दु जवाबदावा के मोहताज थे तथा इस बिन्दु पर विवाधक विरचित होकर साक्ष्य उपरांत निर्णय होना आवश्यक था। अपील संख्या 14/2019 में अपीलांट लालचंद के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादीगण को राजस्व अभियान के दौरान पारित किये गये निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की कोई कानूनन बाध्यता नहीं थी। राजस्व अभियान में उपस्थित पक्षकारों के द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर परस्पर सहमति के आधार पर निर्णय पारित करवाए जाते हैं ऐसे निर्णय का प्रभाव उन व्यक्तियों के अधिकारों पर नहीं है जो ऐसी कार्यवाही के समय उपस्थित ही नहीं थे। अपीलांट बनवारीलाल के अधिवक्ता ने दिनांक 23.01.2023 को लिखित प्रस्तुत की तथा लिखित बहस में यह कथन किये कि रेस्पोडेंट ने वाद पत्र को विधि द्वारा वर्जित होने के दो आधार लिये हैं (क) वादी ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अभियान के दौरान खाता विभाजन करवा लेने का कथन किया है। इस खाता विभाजन के आदेश के विरूद्व अपील होनी चाहिए। राजस्व न्यायालय सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रभावशील रहते यह वाद पत्र नहीं सुन सकता इस कारण यह वाद पत्र बार्ड बाई लॉ है। (ख) वादी ने खाता विभाजन का अनुतोष चाला है लेकिन भगत सिंह, प्रताप सिंह व शिशपाल पिसरान चानणमल को पक्षकार नहीं बनाया है। धारा 53 आरटीए एक्ट के तहत सभी खातेदार आवश्यक पक्षकार है तथा आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण वाद पत्र पोषणीय नहीं है। लिखित बहस में अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट ने राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई गलत प्रविष्टियों को चुनौती दी है तथा ऐसी प्रविष्टि किसी राजस्व अधिकारी के आदेश के अनुसरण में हुई है तो ऐसे आदेश के वैधता के प्रश्न को तय करने में राजस्व न्यायालय सक्षम है तथा कोई वाद पत्र आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन अथवा कुसंयोजन के आधार पर तब तक खारिज नहीं हो सकता जब तक कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उन्हें पक्षकार न बनाया गया हो। अपीलांट ने भूल से छुट चुके सह खातेदारों को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। अपीलांट ने राजस्व अभिलेख में हुई गलत प्रविष्टियों को चुनौती देते हुए वाद पत्र की चरण संख्या–6 में कथन किये हैं। अपीलांट की 1.042 हैक्टेयर भूमि कम हुई है। राजस्व न्यायालय को अपीलांट के अधिकारों को तय करने हेतु राजस्व अभिलेख में हुई इन गलत प्रविष्टियों की जांच करने व तदुपरांत खातेदारी अधिकारों की घोषणा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करने का क्षेत्राधिकार है। धारा 207 आरटीए के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय को किसी पूर्ववर्ती कार्यवाही में हुए किसी आदेश की वैधता को धारा 88 आरटीए के अन्तर्गत उद्घोषणा की डिग्री पारित करते समय परखने का क्षेत्राधिकार है। किसी निर्णय एवं डिक्री का प्रभाव घोषणा के दावा में निर्णित किया जा सकता है। रेस्पोडेंट ने जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया राजस्व अभिलेख में पारित आदेश पक्षकारों को सुनकर दिया गया है या नहीं, यह बिना जवाबदावा के तय नहीं हो सकता। रेस्पोडेंट ने मात्र प्रार्थना पत्र में आपत्ति उठाई, लेकिन उसके सम्बंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। रेस्पोडेंट अपीलांट के महत्वपूर्ण वाद पत्र को गुणावगुण पर निर्णित नहीं करवाना चाहते हें जबकि यह बिन्दु साक्ष्य में मिश्रित प्रश्न है। ऐसे सरसरी व निराधार प्रार्थना पत्र पर किसी वाद पत्र को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 430, आरएलडब्ल्यू 1963 पेज 321, आरआरडी 1978 पेज 11, आरआरडी 1998 पेज 541, आरआरडी 2010 पेज 629, आरआरडी 2009 पेज 244, आरआरटी 2007 (2) पेज 905, डीएनजे 2015 (2) पेज 503, आरआरटी 2018 (2) पेज 1207, आरआरटी 2018 (2) पेज 1329, आरआरटी 2022 (1) पेज 265, आरआरटी 2018 (1) पेज 262 पेश की तथा निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे

5. रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के अन्तर्गत वाद पत्र के अभिवचनों को देखा जाना है। अपीलांट के वाद पत्र की चरण संख्या–6 में यह उल्लेख किया है कि प्रतिवादीगण ने पूर्ववर्ती वाद पत्र 138/91 (84) प्रत्याहारित करने के पश्चात छिपे तौर पर वादी व उसके भाई कृष्णलाल ने प्रतिवादी संख्या 13 की पीठ के पीछे एवं उनकी सहमति के बिना राजस्व अभियान के दौरान वाद पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित मुश्तर्का खाता की कृषि भूमि के खाते अलग कायम करवा लिये हैं अर्थात अपीलांट ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त भूमि का राजस्व अभियान के दौरान खाता विभाजन हो चुका है। अपीलांट के वाद पत्रों के अभिवचनों के मुताबिक सक्षम अधिकारी द्वारा विभाजन हो चुका है। खाता विभाजन के निर्णय/आदेश के विरूद्व अपील सक्षम अधिकारी के समक्ष होनी चाहिये। बकौल अपीलांट यदि खाता विभाजन उनकी अनुपस्थिति में हुआ है तो भी अपील/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के अन्तर्गत कार्यवाही करनी चाहिये थी। अपीलांट ने जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं उसमें फ्रॉड के आधार पर प्राप्त डिक्री को अवैध व शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया था। प्रथमतः हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने फ्रॉड की कोई प्ली अपने वाद पत्र में दर्ज नहीं की है। द्वितीय फ्रॉड के आधार पर वाद पत्र को सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। अपीलांट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वाद पत्र में यह अभिवचन नहीं किया कि उसके साथ किस प्रकार से फ्रॉड हुआ। यहां तक कि अपीलांट ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जिस आदेश के जरिये राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेंट का नाम दर्ज हुआ है उसकी कोई प्रति पेश नहीं की। किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रविष्टि गलत दर्ज की गई, इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया है जबकि अपीलांट अपने वाद पत्र में खाता विभाजन होने के अभिवचन चरण संख्या–6 में किये हैं। उक्त आदेश अपीलीय है। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरडी 1991 पेज 392, डीएनजे 2002 (1) राजस्थान पेज 270, डीएनजे 2014

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

(3) पेज 1244 न्यायिक दृष्टांत पेश किये तथा अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. वाद पत्र की चरण संख्या–6 का परिशीलन किया जिसमें यह उल्लेख है कि ''यह कि प्रतिवादीगण ने पूर्ववर्ती वाद पत्र 138/91 (84) प्रत्याहारित करने के पश्चात् छिपे तौर पर वादी व उसके भाई कृष्णलाल प्रतिवादी संख्या–13 की पीठ के पीछे एवं उनकी सहमति के बिना राजस्व अभियान के दौरान वाद पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित मुश्तर्का खाता की कृषि भूमि के खाते अलग कायम करवा लिये तथा वादी का अलग खाता उसके वैध हिस्से से कम दर्ज करवाते हुए राजस्व अभिलेख में अंकित करवाया है।'' उपरोक्त अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि पहले खाता विभाजन हुआ, तत्पश्चात् अलग भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। अपीलांट ने अपने वाद पत्र में ऐसा कोई आधार नहीं किया है कि खाता विभाजन बिना अधिकारिता के किया गया हो। वाद पत्र के अभिवचनों के मुताबिक राजस्व अभियान में खाता विभाजन किया गया है जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा ही किया गया है जिसके विरूद्व वादी को सक्षम न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए थी। वादी ने फ्रॉड के आधार पर कोई अनुतोष वाद पत्र में नहीं चाहा है। उक्त परिस्थितियों में दोनों अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं सहाायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 05.11.2008 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवायाजा जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 02.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/02/2023

(कल्याणसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner